UPAZ016010122024

IN THE COURT OF
Judicial Magistrate Fast Track Court (Created for trying cases of crime against women)
AT ,Azamgarh
(Presided Over by SRI SAURABH KUMAR)

फौजदारी वाद संख्या–––––1012/2024

राज्य –––––––––––– ––––––––––––––अभियोजन

बनाम

01. प्रमोद यादव पुत्र बालचन्द
02. संतोष पुत्र बालचन्द
03. अशोक पुत्र बालचन्द
04. शेखराजी पत्नी बालचन्द

निवासीगण आराजी बागमती ,थाना रानी की सराय , जनपद आजमगढ़।

––––––––––अभियुक्तगण

मुकदमा अपराध सं०–83/2023
धारा– 498A, 323, 504, 506 भा.दं.स.
थाना रानी की सराय , **जिला**–आजमगढ ।

निर्णय

थाना रानी की सराय की पुलिस द्वारा अभियुक्तगण प्रमोद यादव, संतोष , अशोक व शेखराजी के विरूद्ध मुकदमा अपराध सं०–83/2023 ,धारा498A, 323, 504, 506 भारतीय दण्ड संहिता 1860 (भा०द० सं०) के अपराध में आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया, जिंस पर न्यायालय द्वारा प्रसंज्ञान ग्रहण कर विचारण किया गया।

अभियोजन का संक्षिप्त अभिकथन इस प्रकार है कि " वादिनी मुकदमा चन्द्रकला की शादी लगभग चार वर्ष पूर्व हुयी थी। मेरे पास कोई सन्तान नहीं है ,इसी कारण मेरे पति प्रमोद यादव, सन्तोष, अशोक व शेखराजी ये लोग आये दिन मुझे गन्दी–गन्दी गालियॉ व मारने पीटने लगते है और तरह–तरह का ताना मारते है व झूठा आरोप लगाते है। मना करने पर जान से मारने की धमकी देते है। मार पीटकर मायके भगा देते है और खान खर्च नही देते है। दिनांक 28.03.2023 को मैं सुबह में घर गयी तो उपरोक्त विपक्षी गन्दी–गन्दी गालियॉ व जान से मारने की धमकी देते हुए मुझे भगा दिये और कहने लगे तुम्हारे यहॉ कोई रिस्ता नही है।

वादिनी मुकदमा सुहागनी देवी के लिखित प्रार्थना पत्र पर थाना स्थानीय पर अभियुक्तगण प्रमोद यादव, संतोष , अशोक व शेखराजी के विरूद्ध मुकदमा अपराध सं०–83/2023 , धारा498A, 323, 504, 506 भा०द० सं० में प्रथम सूचना रिपोर्ट कायम हुई। विवेचक द्वारा प्रकरण की विवेचना की गयी। साक्षीगण के बयानात अंकित किये गये मौके की नक्शा नजरी बनायी गयी।

बाद सम्यक विवेचना अभियुक्तगण प्रमोद यादव, संतोष , अशोक व शेखराजी के विरूद्ध मुकदमा अपराध सं०–83/ 2023 , धारा498A, 323, 504, 506 भा०द० सं० में आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया गया, जिस पर न्यायालय द्वारा संज्ञान लेकर अभियुक्तगण को परीक्षण हेतु तलब किया गया। अभियुक्तगण न्यायालय के समक्ष उपस्थित आये ,उनके द्वारा अपनी–अपनी जमानते करायी गयी।

अभियुक्तगण प्रमोद यादव, संतोष , अशोक व शेखराजी के विरूद्ध मुकदमा अपराध सं०–83/ 2023 , धारा498A, 323, 504, 506 भा०द० सं० में प्रथम दृष्टया अपराध पाते हुए उक्त धारा में दिनांक–17.12.2024 को आरोप विरचित हुआ। अभियुक्तगण ने आरोप से इन्कार किया तथा विचारण की याचना किया।

अभियुक्तगण प्रमोद यादव, संतोष, अशोक व शेखराजी द्वारा आरोप से इन्कार कर विचारण चाहने पर अभियोजन की तरफ से साक्षी पी०डब्लू–1 सुहागनी देवी, वादिनी मुकदमा को परीक्षित कराया गया। अभियुक्तगण की तरफ से विद्वान अधिवक्ता द्वारा अभियोजन प्रपत्रों की औपचारिक सत्यता स्वीकार की गयी। इस प्रकार अभियोजन साक्ष्य समाप्त हुआ।

अभियोजन साक्ष्य समाप्त होने के उपरान्त अभियुक्तगण का बयान अं० धारा–313 दं०प्र०स० अंकित किया गया। अभियुक्तगण ने अपने धारा–313 दं०प्र०सं० के बयान में अभियोजन साक्ष्य से इन्कार करते हुए सफाई साक्ष्य प्रस्तुत न करने का कथन किया।

राज्य की तरफ से विद्वान अभियोजन अधिकारी एंव अभियुक्तगण की तरफ से विद्वान अधिवक्ता की बहस सुनी तथा पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य का गहनतापूर्वक परिशीलन किया।

निष्कर्ष

अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों के आधार पर यह देखा जाना है कि क्या अभियोजन पक्ष, अभियोजन मामले के इस तथ्य– कि अभियुक्तगण ने वादिनी मुकदमा को मानसिक व शारीरिक रूप से प्रताडित करते हुए मारापीटा ,गाली गलौज तथा जान से मारने की धमकी दिये । अभियोजन पक्ष को अभियुक्तगण के विरूद्ध युक्ति-युक्त संदेहो से परे साबित करने में सफल रहा है?

इस सम्बन्ध में अभियोजन पक्ष की तरफ से दौरान बहस यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि अभियोजन प्रपत्रों के अनुसार अभियोजन कथानक वास्तविक घटना पर आधारित है। अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता के द्वारा अभियोजन प्रपत्रों की औपचारिक प्रमाणिकता स्वीकार की गयी है।अभियोजन कथानक युक्ति -युक्त संदेहों से परे साबित है। अतः अभियुक्तगण के विरूद्ध गठित अपराध में दोषसिद्ध किया जाय।

अभियोजन की तरफ से परीक्षित कराये गये साक्षी पी०डब्लू–1 सुहागनी देवी जो वादिनी मुकदमा है ने अपने सशपथ बयान में कथन किया है कि''मेरा विवाह लगभग पांच वर्ष पूर्व प्रमोद यादव के साथ हुआ था। ससुराल जाने पर मेरे पति प्रमोद यादव, जेठ सन्तोष व अशोक, सास शेखराजी मुझे गालियॉ देते थे। मैने घटना के सम्बन्ध में थाना रानी की सराय आजमगढ़ पर प्रार्थना पत्र दिया था। प्रार्थना पत्र दिनांकित 28.03.2023 को यही प्रार्थना पत्र दिया है जो मैने थाने पर दिया था। जिसपर मेरा ही हस्ताक्षर है। उसे सत्यापित करती हूॅ। जिसपर प्रदर्श क 1 डाला गया ।

बचाव पक्ष द्वारा उक्त साक्षी से जिरह की गयी तो उसने कथित किया है कि ससुराल में मेरे पति दोनो जेठ ,सास से घरेलू काम काज को लेकर केवल कहा सुनी हो जाती थी। मेरे पति दोनो जेठ व सास ने गाली गलौज नहीं दिया था। न ही मारापीटा था । उन लोगो ने जान से मारने की धमकी नही दिया था। न ही घर से निकाला था। थाने पर प्रार्थना पत्र कुछ लोगो के उकसाये से दे दिया था।

अभियोजन पक्ष द्वारा उक्त साक्षी से जिरह की गयी तो उसने कथित किया है कि दरोगा जी ने मेरा कोई बयान नही लिया था। उन्होने कैसे लिख लिया मैं नही बता सकता। मैनें यह मुकदमा कुछ लोगो के कहने से लिखा दिया था। यह कहना सही है कि मुल्जिमानो से मेरी सुलह हो चुकी है लेकिन यह कहना गलत है कि सुलह हो जाने के कारण गलत बयान दे रही हूॅ।इस साक्षी के जिरह में ऐसा कोई तथ्य प्रकाश में नहीं आया है जिससे कि अभियुक्तगण को दोष सिद्व किया जा सके।

इस साक्षी ने अपने जिरह में ही अभियोजन कथानक का समर्थन नहीं किया गया है और जिरह में ऐसा कोई तथ्य प्रकाश में नहीं आया है जिससे कि अभियुक्तगण को दोष सिद्व किया जा सके

पत्रावली के अवलोकन से विदित है कि अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा तथ्यों से इंकार करते हुए अभियोजन प्रपत्रों की औपचारिक सत्यता को स्वीकार कर लिया है, किन्तु अभियोजन पक्ष द्वारा परीक्षित कराये गये तथ्य के उपरोक्त साक्षी के साक्ष्य से घटना सिद्व नहीं होती है।

यह अभियोजन का कर्तब्य है कि वह अपने कथानक को सभी संदेहों से परे साबित करें। यदि किसी प्रकरण में संदेह उत्पन्न हो जाता है तो उस संदेह का लाभ अभियोजन को नहीं दिया जाता

है,बल्कि अभियुक्तगण को दिया जाता है।प्रस्तुत घटना पूर्णरूपेण संदिग्ध प्रतीत होती है। अतः संदेह का लाभ अभियोजन को न देकर अभियुक्तगण को दिया जाना न्यायसंगत प्रतीत होता है। In the case of Bhagwan Jagannath Markad and Others Vs State of Maharashtra, (2016) 10 SCC 537 The Hon'ble Apex Court held that "it is accepted principle of criminal jurisprudence that the burden of proof is always on the prosecution and the accused is presumed to be innocent unless proved guilty. The prosecution has to prove its case beyond reasonable doubt and the accused is entitled to the benefits of the reasonable doubt. The reasonable doubt is one which occurs to a prudent and reasonable man."

उपरोक्त विवेचना के आधार पर न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँचती है कि अभियोजन पक्ष अभियुक्तगण के विरूद्ध विरचित आरोप को युक्ति–युक्त संदेह से परे साबित करने में पूर्णतः असफल रहा है। अतः अभियुक्तगण प्रमोद यादव,संतोष ,अशोक ,शेखराजी,मुकदमा अपराध सं०–83/ 2023 , धारा 498A,323,504,506 भा०द० सं० के आरोप से दोष मुक्त होने के योग्य है।

आदेश

अभियुक्तगण प्रमोद यादव, संतोष , अशोक व शेखराजी , मुकदमा अपराध सं०–83/ 2023 , धारा498A,323,504,506 भा०द० सं० के आरोप से दोष मुक्त किया जाता है। अभियुक्तगण जमानत पर है उनके बंध पत्र तथा जमानतनामा खण्डित किया जाता हैं तथा प्रतिभू को उनके दायित्व से उन्मोचित किया जाता है।

अभियुक्तगण द्वारा धारा 437 (A) द०प्र० सं० का अनुपालन किया जा चुका है।

धारा– 437(A) द० प्र० सं० के अनुपालन में प्रस्तुत की गयी जमानत को अपील की प्रक्रम तक आबध्द किया जाता है और यदि भविष्य में कोई अभियोग योजित होता है तो अभियुक्तगण माननीय न्यायालय में उपसंजात होने तक आबध्द रहेगें।

दिनांक–17–01–2025

(**सौरभ कुमार**)
न्यायिक मजिस्ट्रेट,एफ०टी०सी०(महिला)
आजमगढ़।
JO CODE – UP4883

आज यह निर्णय मेरे द्वारा खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित एवं दिनांकित होकर सुनाया गया ।

दिनांक–17–01–2025

(**सौरभ कुमार**)
न्यायिक मजिस्ट्रेट,एफ०टी०सी०(महिला)
आजमगढ़।
JO CODE – UP4883